न्यायालय तहसीलदार, चिड़ावा जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी ::: बृजेश कुमार (R.T.S.)
मिसल नं. ::: 16/2017
सरकार बनाम सांवरमल व पटेल पुत्र नत्थूराम जाति कुम्हार निवासी निजामपुरा तन ओजटू

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय

निर्णय दिनांक 19.09.2017

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल सांवरमल व पटेल पुत्र नत्थूराम जाति कुम्हार निवासी निजामपुरा तन ओजटू द्वारा ग्राम ओजटू स्थित भूमि ख.नं. 288/83 रकबा 17.12 हैक्टे किस्म गै.मु.जोहड़ में से 600 वर्ग मीटर भूमि पर चार दीवारी एवं पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की गई है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया कि उसके द्वारा ख.नं. 288/83 में 600 वर्ग मीटर पर कोई नया अतिक्रमण नही किया गया है। प्रार्थी उक्त मकानात में पिछले 40–50 वर्षो से पीढ़ियो से आबाद है। प्रार्थीगण के मकानात में काफी पुराना विद्युत व पानी का कनेक्शन प्रार्थी के नाम से है। उक्त मकानात प्रार्थी के पैत्रक मकान है। ग्राम की पार्टीबाजी के चलते व आपसी रंजीश के चलते प्रार्थी को हैरान व परेशान करने के लिए यह नोटिस दिलवाये जाने का कथन किया।

निर्णय हेतु पत्रावली में रिपोर्ट पटवारी एवं गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जबाब व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। गैर सायल को भूमि ख.नं. 288/83 रकबा 17.12 हैक्टे किस्म गै.मु.जोहड़ भूमि में से 600 वर्ग मीटर भूमि पर चार दीवारी एवं पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण करने का दोषी पाया जाता है। अतः गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। साथ ही प्रश्नगत भूमि की किस्म गै. मु. जोहड़ है जो माननीय उच्च न्यायालय की रीट सं. 1536/2003 अब्दूल रहमान बनाम राजस्थान सरकार वगैरह के निर्णय से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है, जिस पर अतिक्रमी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानते हुए गैर सायल को 600 वर्ग मीटर विवादित रकबे पर अतिचारी घोषित किया जाता है एवं बेदखली आदेश दिया जाता है तथा आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान राशि 23 रू. पैनेल्टी आरोपित की जाती हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार से मांग कायमी करवाई जावें। पटवारी/गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं बेदखली हेतु लिखा जावें। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
तहसीलदार चिड़ावा